

I/266952/2023

संख्या-105/81-2-2023-800(151)/2016

प्रेषक,

आशीष तिवारी

सचिव

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,

क्षेत्रीय कार्यालय मध्य क्षेत्र, अलीगंज, लखनऊ।

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक 27 जनवरी 2023

विषय- साउथ ईस्ट यू0पी0 पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 द्वारा 400 के0वी0 डबल सर्किट मैनपुरी-अलीगढ़ पारेषण लाईन के निर्माण हेतु एटा में 0.46 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग व 01 वृक्ष पातन, अलीगढ़ में 1.8354 हे0 आरक्षित व 0.0276 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग व 02 वृक्षों के पातन, हाथरस में 0.8544 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग व 80 वृक्षों के पातन कुल 3.177404 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग व उस पर अवस्थित 83 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या-मैनपुरी/अलीगढ़ लाइन (समेकित)/13285/2015)

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-8 वी/यूपी/04/99/2016/एफसी/570 दिनांक 21.03.2017 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से विषयगत प्रकरण सैद्धांतिक स्वीकृति निर्गत की गई थी। तत्क्रम में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-2259/11-सी-मैनपुरी/अलीगढ़ लाइन (समेकित)/13285/2015 दिनांक 06.01.2023 द्वारा निर्गत सैद्धांतिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या शासन को उपलब्ध कराया गई है।

2- अतएवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र दिनांक 06.01.2023 द्वारा उपलब्ध करायी गई अनुपालन आख्या की प्रति प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया विषयगत प्रकरण वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत अग्रेतर कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

Signed by आशीष तिवारी, भवदीय,

Date: 25-01-2023 15:52:18

Reason: Approved(आशीष तिवारी)

सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ।
2. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आशीष तिवारी)

सचिव